







कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(11)2022/कार्मिक/प्रमुखसं/ 415

दिनांक 10 मार्च, 2023

कार्यालय आदेश

सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-प्रथम भर्ती परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अनुसरण में निम्नांकित चयनित वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-प्रथम को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों (पें मेट्रिक्स एल-11) पर नियुक्त किये जाने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं :-

क्र. सं.	रोल न.	नाम अभ्यर्थी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पिता का नाम सर्व श्री	जन्मतिथि	श्रेणी/वर्ग	मेरिट न.	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	308496	शिवानी पाल	हरि किशन पाल	14-08-1998	MB,WE	M-73	
2	371355	प्रणय गुप्ता	राजेंद्र कुमार गुप्ता	04-09-1992	GE	R-03	
3	369814	फते सिंह मीना	लल्लू प्रसाद मीना	28-06-1991	ST	R-32	
4	323649	अभिषेक मीना	मुन्शी लाल मीना	05-01-1996	ST	R-33	
5	383695	संजय राज मीणा	पृथ्वी राज मीणा	17-02-1991	ST	R-34	
6	385720	निलेश लाल	राकेश लाल	20-08-1990	SC	R-43	

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन जारी की जा रही है :-

- उक्त नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6157/2022, बलबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 710/2022, 711/2022, 718/2022 एवं अन्य किसी भी न्यायालय में लम्बित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
- उक्त नियुक्तियां राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत की गई है। यह नियुक्तियां उपरोक्त सेवा नियमों में अधिकारित निबन्धनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.03.10 15:47:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3347422



3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.3.2006, प. 14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों अनुसार देय होंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों को देय पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रभावी प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/जाने वाले हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
7. उक्त नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
8. उक्त अभ्यर्थियों को वन शिक्षा निदेशालय से 18 माह का इंडक्शन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, इस क्रम में समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में विहित प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा यह प्रतीत होता है कि इनमें एक दक्ष वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-प्रथम होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की नियमानुसार निर्धारित राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की नियमानुसार निर्धारित राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में विहित प्रावधानों अनुसार ही रहेगी।
12. नियुक्ति आदेश कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 में अंकित पुलिस सत्यापन निर्देशों की पालना में पूर्णतः प्रोविजनल जारी किये जाते हैं। उक्त नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी होने वाली सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरत अभ्युक्ति होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जा कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में पद ग्रहण हेतु दी जाने वाली उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र अपेक्षित रहेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।
13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी कोशपथ-पत्र के रूप में "Self declaration" प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक/विहित कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.03.10 12:47:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3347422



14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. नियुक्त किये गए विवाहित अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने से पूर्व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, उनकी जीवित संतानों की सूचना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। विवाहित/अविवाहित दोनों स्थिति में दहेज न लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय समय में धूम्रपान/मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने का आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।
18. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों (जो अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने होंगे) की जांच/प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन रहेंगी (दो सेट छायाप्रति सहित)।
19. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 05 दिवस के भीतर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
20. नव-नियुक्त वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-प्रथम के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(11)2022/कार्मिक/प्रमुवसं/416-429

दिनांक 10 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय वन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, डाकघर-न्यू फोरेस्ट, देहरादून- 248006 ।
6. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्राद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नियुक्ति आदेश एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र के प्रपत्रों को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
8. अभ्यर्थी श्री/सुश्री
9. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
 राजस्थान, जयपुर

Signature valid
 Digitally signed by Deep Narayan
 Pandey
 Designation : Principal Chief
 Conservator Of Forest
 Date: 2023.03.10 15:47:20 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3347422

